श्री राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2018 को डुमरांव नगर परिषद की मूल भूत समस्याओं के संबंध में वार्ड पार्षद एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

==

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार के डुमरांव नगर परिषद के सभागार में डुमरांव नगर परिषद की मूलभूत समस्याओं के संबंध में वार्ड पार्षद एवं गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरांव मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वार्ड पार्षद एवं गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा डुमरांव नगर परिषद अन्तर्गत निम्नवत् समस्याओं से अवगत कराया गया–

(1) वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–23 के द्वारा बताया गया कि डुमरांव नगर परिषद में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की है। डुमरांव रेलवे स्टेशन से शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज तक वाहनों रफ्तार निर्धारित की जाय। शहर में नो–इन्ट्री का प्रावधान है, परन्तु इसका अनुपालन नहीं हो रहा है, इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाय। बस स्टैण्ड एवं आटो स्टैण्ड का स्थल निर्धारित कराया जाय। 07 निश्चय योजना के अन्तर्गत नगर परिषद अन्तर्गत हर घर नल का जल योजना के कार्य में प्रगति लाया जाय। डुमरांव अभ्यशार्थ मध्य विद्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है, अतः इसका मरम्मति/भवन निर्माण कराया जाय। चकबंदी कार्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है एवं इसमें महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, जो भवन के गिरने के कारण/वर्षा के जल के कारण क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अतः इसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की जाय। शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के पास एक साल से सामुदायिक शौचालय बन रहा है, जो अब तक अपूर्ण है, इसे पूर्ण कराया जाय।

(2) वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–11 के द्वारा बताया गया कि डुमरांव नगर परिषद में ट्रैफिक जाम से छूटकारा दिलाया जाय। फूटपाथी दुकानदारों के लिए उचित व्यवस्था की जाय। ठेला वाले रोड पर ठेला लगाते है, जिसके कारण आम जनता को भारी परेशानी का समाना करना पड़ता है। उनके लिए समुचित स्थान की व्यवस्था की जाय। वार्ड संख्या–11 में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक शौचालय नहीं है। इसके बनाने के लिए जगह है, परन्तु अतिक्रमित है। इसको खाली कराया जाय तथा उक्त संस्थानों का निर्माण कराया जाय। यहाँ का आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड संख्या 10 से टैग है जिसमें पोषाहार के लिए आधार कार्ड की मांग की जा रही है। वर्तमान में आधार कार्ड नहीं बन रहा है, अतः आधार कार्ड के बिना पोषाहार वितरण पर रोक हटायी जाय।

(3) वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–07 के द्वारा बताया गया कि पेंशनधारियों को त्रुटि के कारण पेंशन नहीं मिल पा रहा है। इस क्रम में विकास मित्र को कहने पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गरीबों को मकान बनाने के लिए पैसा आया है, परन्तु मिल नहीं रहा है, इसे दिलाया जाय। वार्ड संख्या–7 में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है, परन्तु दबंगों के द्वारा उसे कब्जा किया गया है तथा सामुदायिक शौचालय नहीं बनाने दिया जा रहा है। इस पर कार्रवाई की जाय।

(4) वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–08 के द्वारा बताया गया कि गौशाला रोड में नंगा तार है, जिसके कारण काफी समस्या हो रही है तथा दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता हैं। बिजली विभाग के अभियंताओं को इसे हटाने के संबंध में सूचित करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

(5) वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–25 के द्वारा बताया गया कि नगर में जाम की ऐसी समस्या है कि एम्बुलेंस का सायरन बजता रहता है, परन्तु भीड़ नहीं हटता है तथा मरीजों को काफी समस्या होती है। अतः जाम से निजात दिलाया जाय। 1970 की बोरिंग एवं पाईप लाईन से पानी की सप्लाई होता है, जिसमें कई जगह पाईप लाईन क्षतिग्रस्त है एवं गंदे पानी की सप्लाई होती है, जिसे लोग पीने के लिए बाध्य है। नल का जल योजना का कार्यान्वयन करा कर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाय।

(6) वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–20 के द्वारा बताया गया कि महारानी उषारानी मध्य विद्यालय में विगत 10 दिनों से पोषाहार नहीं बन रहा है। इसके अतिरिक्त इस विद्यालय में शौचालय की कमी है तथा जो शौचालय है वह भरा हुआ है, जिसके कारण बच्चियों को समस्या हो रही है। वार्ड संख्या 2 एवं 3 में चापाकल की कमी है। साथ ही एक्साईज कॉलोनी में नाली की पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यही पानी गली के गड्ढ़ा में गिरता है, जिससे गंदगी फैल रही है। नगर में ट्रैफिक जाम एक महत्त्वपूर्ण समस्या है, बैंकों का पार्किंग नहीं होने कारण मोटर साईकिल एवं अन्य वाहन रोड पर लगते है, जिसके कारण और अधिक समस्या उत्पन्न होती है। साफखाना रोड, गोला रोड, चौक बाजार, राजगढ़ रोड, राज अस्पताल के पास अधिक जाम लगता है। बस स्टैण्ड एवं ऑटो स्टैण्ड की व्यवस्था नहीं होना भी जाम की एक महत्त्वपूर्ण कारण है। सेन्ट्रल नाला का पानी काव नदी में होकर बाहर निकलता है, काव नदी में गाद भर जाने के कारण समस्या हो रही है। उसे जे0सी0बी0 से कटवा कर खाली कराया जाय। काव नदी की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय। बिहारी जी के मंदिर स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कराया जाय। पेंशनधारियों को त्रुटि के कारण पेंशन बंद है, जिसका समाधान करा कर पेंशन चालू कराया जाय। जाम से निजात दिलाने हेतु बाईपास का निर्माण कराया जाय। कृषि कॉलेज–महरौरा होते हुए प्रशिक्षण कॉलेजे के पीछे से बाईपास बनाया जा सकता है।

(7) वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–05 के द्वारा बताया गया कि जाम की समस्या का समाधान कराया जाय। पेयजल की समस्या है, नल का जल योजना में कार्य पूर्ण करा कर पेयजल की व्यवस्था किया जाय।

(8) वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–22 के द्वारा बताया गया कि वार्ड में छः माह पूर्व जो लाईट लगाये गये थे, वह असफल हो गया है तथा अंधेरा रहता है। नगर परिषद में 26 में से 18 वार्ड में बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा नल का जल योजना में कार्य करना है, परन्तु काम बंद है। सेंट्रल नाला से नाली की पानी की निकासी होती है, परन्तु इसकी पूर्ण सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण नाला जाम है।

(9) गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा नगर परिषद, डुमरांव के निम्नवत् समस्याओं/तथ्यों को रखा गया–

(i) नगर परिषद, डुमरांव के 10 वर्षो का लेखा–जोखा की जांच कराई जाय।

(ii) 08 समितियों का गठन हुआ है, परन्तु कोई काम नहीं होता है। समितियों की निर्णय को संबंधित पदाधिकारियों के पास कार्रवाई हेतु नहीं भेजा जाता है।

(iii) ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान कराया जाय।

(iv) नल का जल योजना में बंद पड़े कार्य को प्रारम्भ कराया जाय।

(v) राजगढ़ रोड तथा गोला रोड में पथ में अतिक्रमण है, उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाय।

(vi) नगर परिषद के पथ से वेंडर एवं ठेला वालों को हटाया जाय तथा उन्हें दूकान लगाने हेतु स्थान चिन्हित किया जाय।

(vii) गोला रोड में डुमरांव अनुमण्डल के सात प्रखण्डों के लोग आते है, जिसके कारण काफी जाम रहता है। घनी आबादी है, परन्तु आंगतुक महिलाओं के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण विशेष कर महिलाओं को काफी समस्या होती है। यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाय।

(viii) नगर परिषद में बाईपास नहीं है, बाईपास की व्यवस्था की जाय।

(ix) राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि दिन–प्रतिदिन सड़क के अतिक्रमण होने से राज उच्च विद्यालय से स्टेशन रोड तक पथ की चौड़ाई कम हो गई है। पथ के किनारे छोटे–छोटे झोपड़िया बनाई जा रही है तथा पथ की भूमि को बंदोबस्त किया जा रहा है। पथ की भूमि की मापी करा कर लैण्ड मार्क बनाया जाय। थाना के सामने ट्रांसफार्मर है, वहाँ बैरिकेडिंग कराया जाय। स्टेशन रोड से शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज तक स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था की जाय। अतिक्रमण हटाये जाने के बाद उसका अनुश्रवण किया जाय। यदि पुनः अतिक्रमण होता है तो कार्रवाई की जाय।

(x) वार्ड संख्या 06 में ईट/बालू लदा हुआ ट्रैक्टर वाले अश्लील/द्विअर्थीय गाने बजाते है, जिसके कारण वहाँ के परिवारों को परेशानी होती है। इसे बंद कराया जाय।

(xi) ऑटो रिक्शा का लाईसेंस की जांच कराई जाय। कम उम्र के बच्चे ऑटो रिक्शा चलाते है, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

(xii) नगर देवी (बड़ी काली माँ) मुख्य मार्ग एवं काव नदी के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाय।

(xiii) वार्ड न0 24 संगम लाल की गली में सार्वजनिक कुआ में अतिक्रमण है, इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाय।

(xiv) नगर परिषद से सूचना की मांग की जाने पर सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(xv) पूर्व मुख्य पार्षद श्री नागेन्द्र नाथ तिवारी के द्वारा बताया गया कि नगर परिषद में लूट–खसोट हो रहा है, इसकी जांच कराई जाय।

(xvi) कुड़ा डम्प करने की नगर के बाहर व्यवस्था की जाय।

(xvii) कोरान सराय से अनुमण्डल कार्यालय होते हुए ढकाईच जाने वाले पथ का चौड़ीकरण कराया जाय ताकि भारी वाहनों को आवागमन उधर से हो सके।

(xviii) प्राईवेट विद्यालयों के वसों में बच्चों को क्षमता से अधिक बैठाया जाता है, जिसके कारण बच्चों को समस्या होती है।

वार्ड सदस्य एवं गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा अवगत कराये गये उपर्युक्त समस्याओं के संबंध में निम्नवत् निदेश दिये गये–

1. नगर में बाईपास रोड हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव भेजेंगे। साथ ही वर्तमान में टेढ़कीपुल से कृषि महाविद्यालय महरौरा पथ से भारी वाहनों के आवागमन के बिन्दू पर स्थिति स्पष्ट करेंगे।
2. नो–इन्ट्री का अनुपालन सख्ती से कराने हेतु अनुगण्डल पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरांव को निदेशित किया गया।
3. बैठक में अवगत कराया गया कि एन0एच0 पर स्पीड ब्रेकर बनाने पर न्यायालय का रोक है। इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
4. नल का जल योजना के कार्यान्वियन में तेजी लाने हेतु बिहार राज्य जल पर्षद से पत्राचार किया जाएगा।
5. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरांव को सेन्ट्रल नाला की पूर्ण सफाई कराने का निदेश दिया गया।
6. बस स्टैण्ड एवं टैम्पु स्टैण्ड हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव भेजेंगे ताकि उसे आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
7. आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों का आधार यदि नहीं हो तो उनके माता–पिता का आधार जमा कराया जा सकता है। इस हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया है।
8. पेंशन के समस्याओं के निदान हेतु कैम्प का शीघ्र आयोजन किया जाएगा।
9. शेष बिन्दुओं पर कार्रवाई हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया जाएगा।

[signature] 13/07/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10 2255 /गो0 दिनांक 15/07/2018

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, डुमरांव/यातायात निरीक्षक, डुमरांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, डुमरांव/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, डुमरांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं बक्सर जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर/जिला शिक्षा पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, डुमरांव/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर/कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, बक्सर/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, बक्सर/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमरांव/विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरांव/जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, बक्सर/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0),बक्सर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि वार्ड पार्षद एवं गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा प्रकाश में लाये गये उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के संबंध में कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, बक्सर/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/07/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।